(b) if so, what are the details of the schemes;

(c) whether these schemes are being implemented in Andhra Pradesh also; and

(d) if so, the number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes covered by these schemes in Andhra Pradesh so far?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) While no separate scheme in this regard has been drawn up for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they are also covered by the general me dical aid programmes.

(b) to (d) Do not arise.

दिल्ली के पूर्वी भाग में गंगा के पानी की सप्लाई

3701. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के पूर्वी भाग में स्थित कितनी कालोनियों को गंगा का पानी सप्लाई किए जाने का विचार है ;

(ख) गंगा के पानी की सप्लाई कब तक शुरू हो जाने की आशा है ;

(ग) इस संबंध में कुल कितना खर्च होने की संभावना है ;

(घ) क्या वर्ष 1988 के दौरान गौतमपुरी कालोनी में भी गंगा के पानी की सप्लाई करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवीर सिंह) : (क) से (ग) नकमी नगर तथा शकरपुर क्षेत्र की 29 कालोनियों को नगर निगम का पानी दिए जाने की सम्भावना है और लाइनों के जून, 1988 तक चालू हो जाने की आशा है। परिधीय तथा आन्तरिक पानी की मुख्य लाइनें बिछाने में 170.47 लाख रुपये की कुल लागत का अनुमान लगाया गया है।

(घ) तथा (ङ) परिधीय सिस्टम वाली लाइनों बिछाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और इसके दिसम्बर, 1988 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। गौतमपुरी को पानी की आपूर्ति कब तक की जाएगी जब आन्तरिक मुख्य लाइनें बिछा दी जाएंगी जिसके लिए अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के लिए जारी किए गए लाइसेंस

3702. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पंजीयक सहकारी समिति, दिल्ली प्रशासन द्वारा जिन सहकारी समितियों को उपभोक्ता सहकारी भंडारों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है तथा उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी प्रकार की जांच किए बिना ही इन समितियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो क्या किसी खुफिया एजेन्सी द्वारा इस मामले की जांच कराए जाने का विचार है ; यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) चालू सहकारी वर्ष के

दौरान 26 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार पंजीकृत किए गए हैं। सहकारी समितियों के नाम तथा पते दर्शाने वाली सूची विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वे उपभोक्ता सहकारी भंडारों का पंजीकरण उपयुक्त के करने के पश्चात् करते है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चालू सहकारी वर्ष के दौरान पंजीकृत किए गए प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडारों के नाम तथा पते

1. श्री गणेश कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लिमिटेड ए 1/70, खजूरी खास कालोनी, दिल्ली-53
2. नरेश कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, आर-40, ब्रह्मपुरी, शाहदरा, दिल्ली
3. दि शालीमार बाग कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि० बी एच-699 ए शालीमार बाग, दिल्ली
4. सीलमपुर कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, बी-107, न्यू सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली
5. श्री चन्दा कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, 1022/3/बी/2, मछली सराय, सूजी मंडी, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली
6. पोस्सांगी पुर कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, डब्ल्यू जैड-99, पोस्सिंगी पुर, जनकपुरी, नई दिल्ली
7. न्यू विकास कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, एफ-88 न्यू सीलम पुर, दिल्ली
8. महिन्द्र कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, आर जैड-ए 42 महिन्द्र पार्क, नई दिल्ली
9. दि बुद्ध नगर कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, बी-442, जे० जे० कालोनी, जनकपुरी, नई दिल्ली
10. दि ग्रामीण भारतीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, डब्ल्यू० जैड-361, मादीपुर, गांव, नई दिल्ली
11. चेतन्य कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, 657, गोतम विहार, दिल्ली-53
12. मयूर विहार कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, कोटला गांव, मयूर विहार, दिल्ली
13. बंसल कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, 326, मोहल्ला महाराम, शाहदरा, दिल्ली
14. कांता कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, एम-48, ब्रह्मपुरी, शाहदरा, दिल्ली
15. दि निधि कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि० 405, गली न० 3 मोहन पुरी, शाहदरा, दिल्ली
16. श्री दुर्गे कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, 141-ए, मैन बाजार पटपडगंज, दिल्ली-92
17. शाहीपुर कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, शाहीपुर गांव, शालीमार-बाग दिल्ली-52
18. शोभित कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि0, 14-ए, रशीद मार्किट, दिल्ली-51
19. डी० ए० सी० आर० कर्मचारी कंज्यूमर कोग्रापरेटिव स्टोर लि०, ए० जी० सी० आर० बिल्डिंग, नई दिल्ली।

20. डिपार्टमेंट आफ बाइओटेक्नोलोजी इम्पलाइज कोआपरेटिव कैंटीन लि०, ब्लाक, 2 (सातवां तल), सी० जी ओ० कम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली ।

21. दि शिव कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि०, मं० नं० 107, दुकान नं० 13, गली नं० 9, संत नगर, दिल्ली ।

22. अजीत नगर कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि , 4600 गली नं० 4, अजीत नगर, दिल्ली ।

23. गुलशन कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि एस–117/11, उस्मानपुर, दिल्ली ।

24. दि सारनाथ कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि , एफ–4/291, जे० जे० कालोनी, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली ।

25. सोनू कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि०, 3651/9, शांति मोहल्ला, दिल्ली ।

26. पटपड़गज कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि , ए–8, आचार्य निकेतन, पटपड़गंज, दिल्ली–92 ।

उचित दर की दुकानों का रद्द किया जाना

3703. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक, आयुक्त खाद्य और नागरिक पूर्ति दिल्ली प्रशासन को, उचित दर की दुकानों के ऐसे कितने दुकानदारों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी डीलरशीप किसी आरोप पर रद्द कर दी गई थी तथा बाद में इन दुकानदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से इसके विरुद्ध निर्णय ले लिया था ;

(ख) संबंधित दुकानदारों के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान आयुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करते हुए कुछ आवेदन-पत्रों को नामंजूर कर दिया था ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में किसी खुफिया एजेंसी की मार्फत जांच कराने का विचार रखती है और क्या सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आयुक्त द्वारा भूतपूर्व दुकानदारों से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों का निपटान करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल (रेग्यूलेशन आफ डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 1981 के खंड 4 के तहत केवल उपायुक्त/सहायक आयुक्त ही उचित दर की दुकान के प्राधिकार को निलम्बित/रद्द करने के लिए अधिकृत हैं । रद्द करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील उपर्युक्त आदेश के खंड 6 के तहत, आयुक्त खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता कार्य विभाग, दिल्ली प्रशासन के सम्मुख की जा सकेगी । दिल्ली प्रशासन के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी अपीलों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	प्राप्त अपीलों की संख्या
1985 . .	23
1986 . .	25
1987 (8–12–87 तक) . .	23